

Plexh/Cir/738

11.12.2025

सेवा में,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) की समीक्षा और प्रतिक्रिया के संबंध में।

हम आपको निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रायोजित एक पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्ण गारंटी कवरेज के साथ बिना किसी संपार्श्विक के ऋण सहायता प्रदान करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

इस योजना का उद्देश्य पात्र निर्यातकों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) को ऋण सहायता के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, जिसमें पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातक भी शामिल हैं।

यह योजना 19.11.2025 से प्रभावी हुई।

विस्तृत दिशानिर्देश के लिए कृपया यहां देखें:

[मर्ज की गई फ़ाइल](#)

इस संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीजीएसई की विशेषताओं, लाभों और संचालन संबंधी पहलुओं की समीक्षा करें और योजना को बेहतर ढंग से उपयोग करने या सदस्यों के लिए इसमें सुधार करने के संबंध में अपने सुझाव या सलाह दें। आपकी प्रतिक्रिया नीति निर्माताओं को हमारी अनुशंसाएँ तैयार करने और हमारे सदस्यों को योजना का पूरा लाभ उठाने में मार्गदर्शन करने में सहायक होगी।

कृपया अपने सुझाव 13.12.2025 तक नीचे दिए गए ईमेल

पतों bharti@plexconcil.org और shilpa@plexconcil.org पर जमा करें।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकोन्सिल